

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय / 2002

जयपुर, दिनांक

28 AUG 2015

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में पदस्थापेत न्यायाधीशों द्वारा अवकाश का उपभोग करने के पश्चात् अथवा साधारणतः 2-3 दिवस पूर्व उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उनके स्थान पर किसी अन्य न्यायाधीश को अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने हेतु समस्या उत्पन्न हो जाती है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में पदस्थापित समस्त न्यायाधीशों को निर्दिष्ट किया जाता है कि उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के लिए अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर कम से कम 2 सप्ताह पूर्व विभाग में उपार्जित अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से,

27/08/2015

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (राजस्थान)
2. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव
27/08/2015